सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ, 1947 (श०)

संख्या - 54 राँची, मंगलवार, 17 फ़रवरी, 2026 (ई०)

वित्त विभाग

अधिसूचना

27 जनवरी, 2026

अ०सं०: वित्त-03/विविध-37/2023-215--योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 1016, दिनांक 31.03.2016 द्वारा "झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016" का गठन किया गया है, जो 01 अप्रैल, 2016 से प्रभावी है । विभागीय संकल्प संख्या 3532 दिनांक 21.12.2023 के द्वारा ई० कुबेर प्लेटफार्म, भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं Centrally Sponsored Schemes (CSS) की राशि कोJust in time पर जारी करने की SNA SPARSH प्रक्रिया लागू की गई है |

2. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 3034/वि०, दिनांक 17.12.2025 के माध्यम से झारखंड कोषागार संहिता, 2016 में संशोधन किया गया है । उक्त संशोधन के पश्चात झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 261 में अनुदान (Grants-in-Aid) से संबंधित विपत्रों के पारित किए जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान निहित हैं:-

JTC Rule261:-Save as hereinafter provided, bills for grants-in-aid with object head 46(salary),79 (non salary) and 78 (capital formation), contribution, etc, shall be presented against the allotment in JTC Form 41/JTC Form 41(a). Grants in aid, contribution etc. sanctioned by the Government shall not be disbursed at the Treasury except under the authority of the competent sanctioning authority, who should issue the sanction order after and only after taking utilization certificate of pending withdrawened amount in the year before the previous financial year from the drawing and disbursing officer. The sanction order must have the name of drawing officer and the treasury. It should also contain the details of previous year's sanctions order and date, sanctioned amount and received utilization certificate letter number with amount.

Details of withdrawned amount in the year before Previous Financial Year should be given conspicuously in the sanction letter as follows-

Sanction Order No. andDate	Withdrawned Amount	Amount of ReceivedUtilization Certificate

The grants-in-aid bill shall be prepared under the supervision of the sanctioning authority, countersigned by him or by the officer authorized by him in the sanction order and drawned by a drawing and disbursing officer authorized in this behalf, and shall be duly receipted by the grantee along with a certificate to the effect that

conditions for such grants-in-aid have been fulfilled. The orders sanctioning the payment must also be quoted in the bill.

3. भारत सरकार द्वारा Centrally Sponsored Schemes (CSS) के अंतर्गत अनुदान (Grants-in-Aid) की राशि के निर्गमन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं प्रौद्योगिकी-आधारित बनाने के उद्देश्य से SNA SPARSH प्रणाली के अंतर्गत Just-in-Time Release of Funds की प्रक्रिया लागू की गई है ।

उक्त प्रणाली के अंतर्गत राज्य के Implementing Agencies द्वारा योजना की राशि सीधे संबंधित Vendor/Beneficiary के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान है । प्रत्येक प्रस्तुत विपत्र वार भारत सरकार का अनुपातिक अंश तथा राज्य सरकार का अंश विपत्र पारित होने के समय ही निर्गत किया जाता है ।

इस प्रकार Just-in-Time प्रक्रिया के तहत SNA SPARSH प्रणाली से आच्छादित योजनाओं तथा राज्य सरकार द्वारा भविष्य में Just-in-Time Release प्रणाली के अंतर्गत चलायी जाने वाली योजनाओं में, प्रस्तुत किए जाने वाले Fully Vouched Grants-in-Aid विपत्रों पर स्वीकृति प्राधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्राधिकारी के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

4. झारखंड कोषागार संहिता, 2016 (यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 3034/वि०, दिनांक 17.12.2025) के नियम 261 में संशोधन करते हुए, उक्त नियम में उप-नियम 261(c) के रूप में निम्न प्रावधान को जोड़ा जाता है : –

JTC 261(c):- Grant-in-aid bills for just-in-time release of funds, that is under SNA SPARSH System or any other schemes as notified by the State Government for just-in-time release of funds, shall be prepared in JTC Form 41(b) as fully vouched bill. No countersignature of the sanctioning authority shall be required for such bills."

5. झारखंड कोषागार संहिता, 2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

5. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रीपरिषद स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रशांतकुमार),
सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 54 - 50